भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में तत्कालीन बैंक मैनेजर सहित 15 को कारावास

- सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने 22 साल पहले के मामले में सुनाया फैसला
- 1997 से 2000 के दौरान तत्कालीन मैनेजर ने बिना कोई गारंटी लिये ज्यादा लोन लिमिट की मंजूरी दी और बैंक को वित्तीय हानि पहुंचाई

जयपुर, (का.सं.)। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने एसबीबीजे बैंक की पृथ्वीराज रोड शाखा में 22 साल पहले हुए भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में तत्कालीन बैंक मैनेजर संदीप कुमार कौशिक को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त बैंक मैनेजर पर तीन लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जबकि अदालत ने लाभार्थियों सुमन सोमानी, उषा सोमानी, सलिला भंसाली, गिर्राज सोनी, नरेश, अनुराग गुप्ता, सीमा, राजेश सोनी, तारामणी शर्मा, गोपाल कृष्ण, अनुज भटनागर, अनूप शिखा भटनागर, अनूप कुमार गुप्ता एवं वीना चतुर्वेदी को दो-दो साल के कारावास व कुल 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मामले में आरोपी रहे गोविंद नारायण सोनी व संजय भंसाली की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।

गौरतलब है कि सन 1997 से 2000 के दौरान तत्कालीन मैनेजर कौशिक ने विभिन्न फर्मों के साझेदारों, स्वामियों, एवं निदेशकों के साथ मिलकर बिना कोई गारंटी लिए ही उन्हें ज्यादा लोन लिमिट की मंजूरी दी और बैंक को वित्तीय हानि पहुंचाई। मामले का खुलासा होने पर चीफ विजिलेंस ऑफिसर रमेश कौल ने 15 जनवरी 2001 को सीबीआई में आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार व फर्जीवाडे की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

स्टेच्यू सर्किल पर धरना आज

जयपुर, (का.सं.)। गुलाबी नगर जयपुर को एक बनाए रखने के लिए सोमवार को स्टैचू सर्किल पर शाम 6 बजे धरना दिया जाएगा। ये मुहिम भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कोठारी ने चलाई है।

इसके लिए सभी जयपुर वासियों ने सामूहिक विरोध का कार्यक्रम रखा गया हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर को दो जिलों में बांटकर जयपुर उत्तर और दक्षिण जिला बनाने की घोषणा की थी। उसके बाद से ही जयपुर वासियों के द्वारा जयपुर को एक रखने के लिए यह मुहिम चलाई गई है।

राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर जयपुर के सेंट्रल पार्क में आर.ए.सी. बैंड ने शाम 6 से 7 बजे तक प्रस्तुति दी। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा की मौजदूगी में हुए बैंड वादन के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। मिश्रा ने बैंड वादन के बाद कलाकारों से मिलकर उनकी हौंसला अफजाई की।

इक्वेटोरियल गिनिया में जयपुर फुट केन्द्र की स्थापना

मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनिया में जयपुर फुट के केन्द्र की स्थापना के बाद वहां विकलांगों के लिये शिविर लगाया गया।

जयपुर, (का.सं.)। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनिया में जयपुर फुट के केन्द्र की स्थापना हो गई हैं। इक्वेटोरियल गिनिया के राष्ट्रपति टियोडोरो ओबियांग गुएमा एमबासागो की पत्नी कोस्टासिया एनसूई ओकोमो, जो इक्वैटोरियल गिनिया की प्रथम महिला कहलाई जाती हैं कि परोपकारी संस्था एफ.सी.एम.एन. और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस.एस.) के संयुक्त प्रयासों से इस केन्द्र की स्थापना हुई हैं।

बी.एम.वी.एस.एस. के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश मेहता से मुलाकात के दौरान प्रथम महिला ने समिति के प्रयासों की प्रशंसा की। सतीश मेहता ने कहा कि बी.एम.वी.एस.एस. के तकनीशिनों की टीम स्थानीय तकनीशिनों को कृत्रिम पैर बनाने के लिए प्रशिक्षित भी करेगी।

सतीश मेहता ने कहा कि अफ्रीका में बड़ी संख्या में दिव्यांग हैं, जिनके पुर्नवास की आवश्यकता हैं, ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

बी.एम.वी.एस.एस. के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता ने कहा कि गत वर्ष मार्च माह में इक्वेटोरियल गिनिया में जयपुर फुट की शिविर लगाया गया था। इस शिविर की सफलता को देखते हुए प्रथम महिला ने अपनी परोपकारी संस्था की ओर से जयपुर फुट से एक एम.ओ.यू. किया, जिसके अन्तर्गत केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया।

पक्षकार से दुष्कर्म करने वाले वकील को सजा

जयपुर, (का.सं.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने पुलिस की गिरफ्तारी का डर दिखाकर महिला पक्षकार से दुष्कर्म करने वाले वकील नवल कुमार मीणा को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त वकील पर पचास हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त वकील ने हाईकोर्ट में पीड़िता के पक्ष में मुकदमा लड़ कर उसे पुलिस सुरक्षा दिलाई, लेकिन उस आदेश को छिपाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। ऐसे में वकील के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश महर्षि ने बताया कि पीड़िता ने अंतरजातीय विवाह किया था। इसके बाद पीड़िता और उसके पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा मांगी थी। यह याचिका अभियुक्त वकील के जरिए पेश हुई थी। वहीं अभियुक्त ने हाईकोर्ट की ओर से सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश को छिपा लिया और पीड़िता को गिरफ्तारी का भय दिखाया। इस दौरान अभियुक्त वकील ने पीड़िता के पति को भेजते हुए पीड़िता को अपने साथ रख लिया। वहीं 14 जुलाई 2019 से लेकर 23 जुलाई तक अभियुक्त वकील ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद 27 जुलाई को पीड़िता ने शहर के प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वहीं अभियुक्त वकील की ओर से कहा गया कि उसका शिकायतकर्ता युवती के साथ फीस का विवाद हो गया था। ऐसे में उसने बदले की भावना के चलते मामला दर्ज कराया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत में अभियुक्त को सजा सुनाई है।

अभिनय के रंग दिखे

जयपुर। नेट थिएट कार्यक्रम की श्रृंखला में दो क़दम संस्था की ओर से अभिनेता नाटक का शानदार प्रदर्शन किया गया जिसमें अभिनय, लेखन एवं निर्देशन वरिष्ठ रंगकर्मी आसिफ शेर अली खान ने भाव भंगिमाओं के माध्यम से अभिनय के अनछुए प्रसंगों को जीवंत कर अपने अभिनय की अमित छाप छोड़ी।

पेंशन परिलाभ नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर परिषद से सेवानिवृत्त कर्मचारी को सात माह बाद भी पेंशन परिलाभ नहीं देने पर स्वायत्त शासन सचिव और निदेशक सहित पेंशन निदेशक से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश ओमप्रकाश की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि परिषद की ओर से बीस अक्टूबर को ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट के आदेश भी जारी कर दिए गए, लेकिन उसे अभी तक पेंशन परिलाभ नहीं दिए गए।

रितु शुक्ला ने संवाददाताओं के कार्यों की सराहना की

केन्द्रीय संचार ब्यूरो की अपर महानिदेशक रितु शुक्ला ने शनिवार को आकाशवाणी, केन्द्र जयपुर के सभागार में क्षेत्रीय समाचार एकांश के अधिकारियों के साथ ही अंशकालिक संवाददाताओं की एक कार्यशाला को संबोधित किया।

जयपुर, (का.सं.)। केन्द्रीय संचार ब्यूरो की अपर महानिदेशक रितु शुक्ला ने आकाशवाणी, जयपुर के समाचार विभाग के अंशकालिक संवाददाताओं का आव्हान किया कि उन्हें केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से प्रत्यक्ष संवाद करना चाहिए ताकि सरकार की रीति-नीतियों का आमजन तक वास्तविक प्रसार हो सके। शुक्ला आज आकाशवाणी, केन्द्र जयपुर के सभागार में क्षेत्रीय समाचार एकांश के अधिकारियों के साथ ही अंशकालिक संवाददाताओं की एक कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने संवाददाताओं से प्रत्यक्षत: बातचीत कर उनके कार्यों की सराहना की तथा समाचार संकलन के कार्य में आ रही किसी भी समस्या के उचित समाधान का आश्वासन दिया।

इससे पहले समाचार निदेशक नीलेश कालभोर ने अपर महानिदेशक का स्वागत किया और संयुक्त निदेशक, (समाचार) रामखिलाड़ी मीना ने कार्यक्रम का समापन संबोधन दिया। प्रख्यात समाचार वाचिका शीला चावला ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया।

15 दिन चलेंगे भगवान परशुराम जयंती समारोह के कार्यक्रम

- समारोह 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सम्पूर्ण प्रदेश में आयोजित किया जायेगा।
- विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिष्ठित ब्राह्मण प्रतिभाओं को सम्मानित किया जायेगा।

जयपुर, (का.सं.)। सर्व ब्राह्मण महासभा एवं अन्य सहयोगी ब्राह्मण संगठनों की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जयंती समारोह 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सम्पूर्ण प्रदेश में आयोजित किया जायेगा। 15 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम में सम्पूर्ण राजस्थान में विभिन्न दिवसों पर भगवान परशुराम जयंती समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे।

सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. सुरेश मिश्रा ने बताया कि प्रदेश स्तरीय भगवान परशुराम जयंती समारोह का विधिवत शुभारंभ 16 अप्रैल को प्रात: 9 बजे मोती डूंगरी स्थित गणेश मंदिर में गणेश निमंत्रण के साथ होगा। इस अवसर पर जयपुर के प्रमुख संत, महंतों की उपस्थिति में एक स्टीकर का विमोचन भी किया जायेगा। साथ ही परशुराम जयंती पर मुख्य समारोह 22 अप्रैल को भगवान परशुराम का श्रृंगार पूजा अर्चना एवं महाआरती भी की जायेगी। 16 से 30 अप्रैल तक उदयपुर, टोंक, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, दौसा, गंगानगर, चूरू, सीकर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, झुंझुनूं, माउंट आबू सहित 25 जिलों के एवं 170 तहसील मुख्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रम जयंती समारोह के अन्तर्गत आयोजित होंगे।

मिश्रा ने बताया कि 30 अप्रैल को जयंती समारोह के तहत जयपुर में "ब्राह्मण रत्न" सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया है। सम्मान समारोह में समाजसेवी, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी, साहित्यकार, व्यवसायी, चिकित्सक, शिक्षा शास्त्री सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली लब्ध प्रतिष्ठित ब्राह्मण प्रतिभाओं को सम्मानित किया जायेगा।

'पुलिस का ध्यान अपराधियों की शीघ्र सजा दिलाने पर हो'

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश के लिए प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस का पूरा ध्यान अपराधी को पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने पर होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए दृष्टिकोण के साथ आपराधिक मामलों की जांच एवं मॉनिटरिंग करने के साथ ही अपराधियों को सजा दिलवाकर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलवाना सुनिश्चित करें, ताकि अपराधियों में भय व्याप्त हो। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राजस्थान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का प्रदेशभर में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।

'अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी'

जयपुर, (का.सं.)। राज्य में पांच प्रमुख माइनर मिनरल्स से ही राज्य सरकार को 1321 करोड़ 37 लाख रु. का रेकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि मैसेनेरी स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, सेंड स्टोन और लाइमस्टोन बर्निंग माइनर मिनरल्स से 2019-20 की तुलना में 31 मार्च, 23 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में राजस्व में 400 करोड़ रु. की बढ़ोतरी रही है। उन्होंने बताया कि माइंस विभाग द्वारा वैध खनन को बढ़ावा देने और अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का का ही परिणाम है कि राज्य में माइनिंग क्षेत्र से राज्य सरकार को राजस्व प्राप्ति का नया रेकॉर्ड कायम किया जा रहा है।

पेपर लीक के आरोपी से साढ़े 19 लाख रु. बरामद

जयपुर (कासं)। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपित अनिल उर्फ शेर सिंह निवासी दोला का वास कालाडेरा चौमूं जिला जयपुर से 19 लाख 50 हजार रुपये बरामद किए गए है। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी अशोक राठौड़ ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में पेपर लीक मामले में आरोपित अनिल कुमार मीणा उर्फ शेर सिंह से पूछताछ कर निशानदेही के आधार पर जमीन में मटके में दबाकर रखे गये 19 लाख 50 हजार रूपये बरामद किये गये। गिरफ्तार आरोपित अनिल 17 अप्रेल तक पुलिस अभिरक्षा में है। जिससे पूछताछ की जा रही है।

जंतर-मंतर देखकर अचम्भित हुईं डब्ल्यू-20 प्रतिनिधि

- ऐतिहासिक कॉल-टू-एक्शन डब्ल्यू-20 नवाचार : मिशन डिजिटल वुमेन का शुभारंभ

जयपुर, (का.सं.)। डब्ल्यू-20 (महिला-20) की अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने आए डब्ल्यू-20 इंडिया के प्रतिनिधियों ने शनिवार को हेरिटेज टूर के तहत गुलाबी नगर के ऐतिहासिक और अद्भुत सिटी पैलेस, हवा महल और जंतर मंतर का भ्रमण किया। सिटी पैलेस और इसकी दीर्घाओं, विशाल आंगनों, उद्यानों की वास्तुकला की संरचना ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रवेश द्वार पर मोर की सुंदर सजावट, छत पर बनी बालकनियों और मंडप देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा।

प्रतिनिधियों ने जब हवामहल की अद्वितीय, खूबसूरत और आकर्षक छोटे-छोटे झरोखों की वास्तुकला देखी तो वे उस निहारते ही रह गए। जंतर-मंतर में ज्यामितीय आकारों के बने यंत्रों को देखकर वे भारत की प्राचीन खगोल विद्या और ज्ञान पर अचम्भित रह गए। प्रतिनिधियों के लिए यह विस्मयकारी नज़ारों और अविस्मरणीय अनुभवों से भरा दिन था। जयपुर के समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और स्थलों ने प्रतिनिधियों के मन में गहरी छाप छोड़ी।

उल्लेखनीय है कि जयपुर में डब्ल्यू-20 की दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक 13-14 अप्रेल को आयोजित की गई थी। इस बैठक में सदस्य देशों, अतिथि देशों और विशेष आमंत्रितों समेत अनेक गणमान्य महिलाओं ने भाग लिया। प्रतिनिधियों और वक्ताओं ने जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, महिला शिक्षा, महिला उद्यम, महिला कौशल, डिजिटल असमानता खत्म करने और जलवायु परिवर्तन की दिशा में महिलाओं और लड़कियों के योगदान पर चर्चा की। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई।

13 अप्रेल को उद्घाटन सत्र के दौरान जी-20 के शेरपा अतिमाभ कांत द्वारा डब्ल्यू-20 में हिस्सा लेने आई अन्य देशों की ख्यातिलब्ध प्रतिनिधियों और भारत सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ कॉल-टू-एक्शन डब्ल्यू-20 नवाचार मिशन डिजिटल वुमेन का शुभारंभ किया गया। इस नवाचार का उद्देश्य महिलाओं को वह जरूरी कौशल और जानकारी प्रदान करना है ताकि वे डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से सक्रिय हो सकें। आई 3-एक्सेस, हमारा बचपन ट्रस्ट और अन्य हितधारकों द्वारा समर्थित मिशन डिजिटल वुमेन, डिजिटल साक्षरता के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। इसमें व्यापार, डिजिटल और वित्त साक्षरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लेने आए डब्ल्यू-20 इंडिया के प्रतिनिधियों ने शनिवार को हेरिटेज टूर के तहत गुलाबी नगर के ऐतिहासिक और अद्भुत सिटी पैलेस, हवा महल और जंतर मंतर का भ्रमण किया।

मुकेश भारद्वाज बने प्रदेश मीडिया प्रभारी

जयपुर। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जय पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण बैराठी ने मुकेश भारद्वाज को प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया।

नम्बर मिलाइए 9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण मुन्ना पुत्र शम्सुद्दीन एवं आबीदा पत्नी मुन्ना निवासी- ईमली वाले बाबा के पास, हाजी कॉलोनी, जयपुर ने अपने पुत्र शानू उर्फ फिरोज एवं उसकी पत्नी तब्वसुम को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। मेरे अभिभाष्यगण का पुत्र व पुत्रवधु आये दिन मेरे अभिभाष्यगण से लड़ाई-झगड़ा करते है मानसिक रूप से प्रताड़ित करते है एवं हैरान परेशान करते है एवं नशा करते है एवं मेरे अभिभाष्यगण के कहने मे नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था इत्यादि मेरे पुत्र व मेरी पुत्रवधु से किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार, लेन-देन करेगा। तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। मेरे अभिभाष्यगण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित रहे।
जयपुर (पी.एम. खान)
दिनांक-15.04.2023 एडवोकेट

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य बाबूलाल गुर्जर पुत्र श्री कालूराम गुर्जर निवासी दहमीखुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर के नाम से एक प्लाट नम्बर 324 तेजस्वी ग्रीन दहमीखुर्द जिला जयपुर क्षेत्रफल 216.84 वर्गगज का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.01.2021 का पंजीकृत दस्तावेज है मूल आवंटन पत्र बगरू लिंक रोड से बगरू बस स्टेण्ड के बीच में गिर गया है जिसकी पुलिस में रिपोर्ट दी जा चुकी है। उक्त सम्पत्ति मेर अभिभाष्य द्वारा किसी को बिक्री अथवा अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं की गई है। जिस किसी को भी उक्त मूल आवंटन पत्र मिले तो संपर्क कर लौटा देवे। अगर किसी के द्वारा उक्त आवंटन पत्र का किसी प्रकार से दुरूपयोग किया तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
जयपुर (दीपेन्द्र कुमावत) एडवोकेट
दिनांक-14.04.2023 मो.8949624358

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य मुरारीलाल शर्मा पुत्र श्री बाबूराम शर्मा, निवासी बी-146 दुर्गाविहार, देवली गॉव नई दिल्ली का पुत्र गौरव शर्मा मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है तथा अपने कृत्यों से मेरे अभिभाष्य को काफी प्रताड़ित कर रखा है। जिसके चलते मेरे अभिभाष्य ने अपने उक्त पुत्र गौरव शर्मा से समस्त पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिये है। तथा अपनी समस्त चल व अचल संपत्तियों जो कि जयपुर व दिल्ली में स्थित है से इसको बेदखल कर दिया है। यदि कोई भी व्यक्ति गौरव शर्मा से किसी भी प्रकार का लेन देन व संव्यवहार करेगा तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा। सूचित रहे।
जयपुर (भूपेश शर्मा) एडवोकेट
दिनांक-15.04.2023 98291-93657, 98875-22879

उद्‌घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 1658/2003
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी नाम रवि चतुर्वेदी पुत्र स्व. रघुवर दयाल जाति ब्राह्मण विवाद स्थान प्लाट सं. 1-क-19 जवाहर नगर, जयपुर
मृतक श्रीमती सरोज चतुर्वेदी की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक- 12.05.2023
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम श्रीमती सरोज चतुर्वेदी पत्नी स्व. रघुवर दयाल जाति ब्राह्मण निवासी 1-क-19 जवाहर नगर, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।
अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 12 माह 05 सन् 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 04 माह 04 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
प्रार्थी ने मृतका सरोज चतुर्वेदी के नाम प्रार्थना पत्र में वर्णित अचल सम्पत्ति बाबत प्रोबेट प्रमाण पत्र चाहा है।
मोहर अदालत
आज्ञा न्यायालय से-वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैंशन न्यायालय
जयपुर महानगर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 82/2023
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रवीण शर्मा पुत्र श्री रामचरण शर्मा निवासी मकान नं. 534, जेम्स कॉलोनी सेक्टर-3, विद्याधर नगर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत वाइटल केयर फाउण्डेशन प्लाट नं. 94 मध्य भाग सेकण्ड, ग्रीनपार्क, बैनाड रोड, दादी का फाटक, जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 15.06.2023
मोहर अदालत
रतनलाल योगी (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग जयपुर

खोया पाया

श्रीमती रेणु तीर्थानी के प्लांट नं. बी-110, वैशालीनगर स्कीम, जयपुर सम्पत्ति के असल दस्तावेज क्रमशः आवंटन पत्र, कब्जा-पत्र, विक्रय-पत्र 09.10.1991 मुख्त्यारआम 17.05.1997 विक्रय-पत्र 16.11.2009 मुख्त्यारआम 16.11.2009 लीज-डीड (पट्टा) 04.05.2018 एवं विक्रय-पत्र 24.11.2022 कहीं गुम हो गये। मिलने पर सूचित करें। (पीयूष भार्गव) मो. 9414050154

मेरे फ्लैट 4/517 जवाहर नगर, जयपुर मूल कागजात आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, डिक्लेरशन, अदेय प्रमाण पत्र जवाहर नगर जयपुर में कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करें-जुगिन्द्र कौर 9929988899

मेरे मकान संख्या 60/87, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर का कब्जा पत्र कहीं खो गया है। मिलने पर सूचित करें-श्रीमती फूल देवी बाफना, मोबाइल नम्बर-9314527999

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम विनय कुमारी पत्नी उम्मेद सिंह राणावत से बदलकर विनय कुमारी पत्नी उम्मेद सिंह निवासी 89, धूलेश्वर बाग, सरदार पटेल रोड, सी-स्कीम, जयपुर रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें।

मैंने अपना नाम उम्मेदसिंह राणावत से बदलकर उम्मेद सिंह निवासी 89, धूलेश्वर बाग, सरदार पटेल रोड, सी-स्कीम, जयपुर रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें।

मैंने अपना नाम गुरप्रताप सिंह से बदलकर गुरप्रताप सिंह ढींढसा रख लिया है। भविष्य में मुझे गुरप्रताप सिंह ढींढसा के नाम से जाना पहचाना जावें। निवासी ग्राम पोस्ट 20 जीजी, तहसील/जिला श्री गंगानगर।

मै संख्या 18024336-एन सैपर शिवराज हनपति, 60 इंजीनियर रेजिमेंट में सेवारत हूँ। मेरा आर्मी सर्विस रिकार्ड में मेरा पिताजी का नाम मडिवालप्पा है। जो कि गलत है। सही नाम मडिवालप्पा बसनिंगप्पा हनपति है। और मेरा माता का नाम बसव्वा है। जो कि गलत है। सही नाम बसव्वा मडिवालप्पा हनपति है। मैं इस प्रकार माता और पिता का नाम अंकित करवाना चाहता हूँ।